बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

सकारण आदेश

274(प्रो०को०)

सं०सं०– 18(प्रो०को०)/न्याय–01–06/2018–/ स्वा० पटना, दिनांक– 23.11.18

स्व0 डा0 शौकत अंजुम भूतपूर्व सीनियर रेजिडेन्ट श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मुजफ्फरपुर की पत्नी मु0 रेहाना परवीन के द्वारा ए0सी0पी0/एम0सी0पी0 की स्वीकृति प्रदान करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय पटना में I.A सं0 7650/2018 दायर किया गया है।

2. उक्त दायर याचिका के आलोक में स्व0 डा0 शौकत अंजुम को ए0सी0पी0/डी0ए0सी0पी0 (चिकित्सक के लिए एम0ए0सी0पी0 का प्रावधान नहीं है) की स्वीकृति पर विचार करने हेतु स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 251(प्रो0को0) दिनांक–08.10.2018 एवं स्मार पत्रांक 268 (प्रो0को0) दिनांक–01.11.2018 द्वारा वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अधीक्षक श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मुजफ्फरपुर से अनुरोध किया गया। इसके अतिरिक्त उक्त पत्र की प्रतिलिपि वित्त (वैक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग बिहार, पटना/महालेखाकार बिहार, पटना को देते हुए स्व0 डा0 औजुम की पत्नी मु0 रेहाना परवीन को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु दी गई।

3. तत्पश्चात् श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मुजफ्फरपुर के अधीक्षक के पत्रांक 2592 दिनांक–03.11.2018 एवं वित्त (वैक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 880 (25) दिनांक–02.11.2018 द्वारा प्राप्त अभिलेखों की समीक्षा की गई। समीक्षा किये जाने के कम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि स्व0 डा0 अंजुम ए0सी0पी0/डी0ए0सी0पी0 की स्वीकृति हेतु आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं करते हैं अर्थात उन्होंने विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं की है तथा कोषागार प्रशिक्षण भी प्राप्त नहीं किया।

4. इस प्रकार उपर्युक्त वर्णित तथ्य से स्पष्ट है कि स्व0 डा0 अंजुम ए0सी0पी0/डी0ए0सी0पी0 की स्वीकृति हेतु आवश्यक अहर्ता को पूरा नहीं करते हैं इसलिए उनको ए0सी0पी0/डी0ए0सी0पी0 का लाभ अनुमान्य नहीं है।

5. उपरोक्त स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर I.A सं0 7650/2018 के आलोक में स्व0 डा0 अंजुम को ए0सी0पी0/डी0ए0सी0पी0 की स्वीकृति प्रदान करने हेतु मु0 रेहाना परवीन द्वारा किये गये अनुरोध/मांग को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति निबंधित/स्पीड पोस्ट से मु0 रेहाना परवीन को भेज दिया जाये।

ह0/–

(संजय कुमार)

प्रधान सचिव

स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक–18 प्रो0 को0 /न्याय–01–06–2018 274(प्रो०को०) पटना, दिनांक– 23.11.18

प्रतिलिपि – वित्त (वैक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग बिहार, पटना/महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर/मु0 रेहाना परवीन पति स्व0 डा0 शौकत अंजुम 6ए इन्द्रपुरी कॉलोनी राजाबाजार, पटना 4 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – सरकारी अधिवक्ता G A 10 पटना उच्च न्यायालय पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,9 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/11/2018

प्रधान सचिव

स्वास्थ्य विभाग